IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL

BENCH AT NEW DELHI.

[ORIGINAL JURISDICTION]

M. A. NO. 84 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 613 OF 2023

IN THE MATTER OF:-

OM PRAKASH GUPTA ... ORIGINAL APPLICANT

VERSUS

GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS.

... RESPONDENTS/NON-APPLICANTS

INDEX

S.No	Particulars	`Pages
1	OBJECTIONS ON BEHALF OF THE RESPONDENT 6 (I.E.BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD) TO THE REPORT OF THE LD. DISTRICT MAGISTRATE, GORAKHPUR WITH AFFIDVIT	1-
2	COPY OF ACTION TAKEN REPORT	6-7
3.	COPY OF ORDER DATED 26.05.2025	8-10
4	COPY OF LETTER DATED 26.07.2019	11-
5	COPY OF LETTER DATED 19.10.2019 WITH DOCUMENTS	12-28

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD

THROUGH

KUNAL KALRA

ADVOCATE

7, GANDHI MARKET,

MINTO ROAD, NEW DELHI-110002

M-9871028645

EMAIL: kkalra.adv@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

AT NEW DELHI.

[ORIGINAL JURISDICTION]

M. A. NO. 84 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 613 OF 2023

IN THE MATTER OF:-

OM PRAKASH GUPTA ... ORIGINAL APPLICANT

VERSUS

GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS.

... RESPONDENTS/NON-APPLICANTS

OBJECTIONS ON BEHALF OF THE RESPONDENT 6 (I.E.BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD) TO THE REPORT OF THE LD. DISTRICT MAGISTRATE, GORAKHPUR DATED 21.06.2024 SUBMITTED IN THE ORIGINAL APPLICATION NO. 613 OF 2023 AND IN COMPLIANCE OF THE JUDGMENT/ORDER DATED 26.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN M.A. NO. 27 OF 2025 IN ORIGINAL APPLICATION NO. 613 OF 2023.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1 The Respondent Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) is filing the objections to the report dated 21.06.2024 filed by the Ld. District Magistrate, Gorakhpur in compliance of this Hon'ble Tribunal's order dated 26.05.2025 in M.A. No. 27 of 2025 in O.A. No. 613 of 2023.

2 The Respondent submits that the findings recorded in the said report are

NOTARY
SATISH KUMAR PANDEY
CIVIL COURT
DEORIA (U.P.)
L. No -39 ...2000
GOVT. OF U.P.

Bharat Petroleum Corporation Ltd
Constituted Attorney

2

factually incorrect, legally unsustainable, and contrary to the contemporaneous records of the district administration under whose authority BPCL and Respondent No. 7 acted throughout.

3 That the process for establishment of the Retail Outlet commenced only after the Office of the District Magistrate, Gorakhpur, through the Ld. District Excise Officer, issued a letter dated 02.03.2019 addressed to the relevant municipal and civic authorities directing them to conduct an inspection of the site and submit survey reports to determine whether a No Objection Certificate (NOC) may be granted in favour of Respondent No. 7 for setting up the proposed Retail Outlet. This communication enclosed the site plan of the proposed project and initiated the official verification process. All the concerned municipal and civic authorities submitted their respective reports between March 2019 and June 2019.

4 That after duly examining these reports, the Ld. District Magistrate, Gorakhpur issued the first NOC dated 26.07.2019 in favour of Respondent No. 7 for installation of the Retail Outlet. The NOC specifically stipulated compliance with the Petroleum Act, 1934, the Petroleum Rules, 2002 and OISD 225 norms and indicated that a final permanent NOC would be required post completion of construction. After issuance of this NOC, BPCL prepared the layout/composition plan for the Retail Outlet and preliminary work commenced. However, due to the unprecedented COVID-19 pandemic and the nationwide lockdown imposed in March 2020, the construction could not be completed within the original two-year validity period.

5 That Consequently, BPCL addressed a letter dated 19.10.2022 to the Ld. District Magistrate seeking renewal of the NOC. In response, the Ld. Additional District Magistrate (City), acting for the Ld. District Magistrate,

NOTARY SATISH KUMAR PANDEY CIVIL COURT DEORIA (U.P.) L. No -39 (1/1)/2000 GOVT. OF U.P.

Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney

issued a communication dated 01.11.2022 to the Senior Superintendent of Police, the Municipal Commissioner of Gorakhpur, and the Sub-Divisional Magistrate, Sadar, directing them to conduct a fresh inspection and submit reports on the status of construction and feasibility of renewal. Having received favourable inspection reports from all authorities in November 2022, the Ld. District Magistrate renewed the NOC vide order dated 01.12.2022 for a further period of two years.

6 That it was only upon issuance of this renewed NOC, after a second round of official inspections, that full-scale construction proceeded. Throughout this period, Respondent No. 7 and BPCL acted strictly under valid governmental permissions. BPCL, relying entirely on the NOCs and related administrative approvals, invested an amount of ₹69.04 lakhs in the project.

7 In this factual context, the DM's report dated 21.06.2024 is fundamentally flawed. The committee relied upon by the Ld. District Magistrate based its findings on the obsolete Gorakhpur Master Plan 2021 to conclude that the subject land falls within the Rapti River floodplain. This conclusion is untenable because the revised Gorakhpur Master Plan 2031 had already come into legal effect on 07.03.2024, prior to the committee's inspection and report dated 10.04.2024. Under the operative Master Plan 2031, the land in question is not classified as floodplain and is designated as permissible for commercial use. The committee's reliance on the superseded Master Plan 2021 renders its conclusions legally void and factually incorrect.

8 Further, the District Revenue Authority had issued a land-use certificate under Section 80(1) of the Uttar Pradesh Revenue Code categorising the land as "commercial" and expressly permitting its commercial utilisation.

NOTARY
SATISH KUMAR PANDEY
CIVIL COURT
DEORIA (U.P.)
L. No -39 .../2000
GOVT. OF U.P.

Bharat Petroleum Corporation Ltd
Constituted Attorney

Such certification could not have been granted had the land been part of a riverbed, floodplain, or ecologically restricted zone. The DM's report entirely overlooks this statutory land-use classification, resulting in conclusions that contradict the district administration's own binding determinations.

9 It is respectfully submitted that once the district authorities, after multiple inspections, granted the NOCs in 2019 and 2022 and issued the land-use certificate, BPCL and Respondent No. 7 were legally entitled to rely on these approvals. The doctrine of administrative fairness as well as settled legal principles of legitimate expectation and promissory estoppel bar the authorities from subsequently disowning their own decisions, particularly after inducing significant investment and compliance. The sudden issuance of a Show Cause Notice dated 25.07.2023 by the Gorakhpur Development Authority, alleging lack of permissions under the UP Development Act, was wholly inconsistent with the earlier verification process undertaken by the district authorities and was never raised during two rounds of surveys in 2019 and 2022.

10 The DM's report, therefore, is based on incorrect premises, relies upon an outdated and superseded Master Plan, disregards the statutory land-use certificate, and ignores the fact that BPCL and Respondent No. 7 acted bona fide on explicit governmental approvals. The report unfairly prejudices BPCL and jeopardises a project undertaken entirely within the framework of law.

11 BPCL reserves its right to seek compensation from the district administration for the substantial financial losses incurred solely due to contradictory, inconsistent, and arbitrary administrative actions, which have disrupted a legally approved project in which BPCL invested ₹69.04

NOTARY
SATISH KUMAR PANDEY
CIVIL COURT
DEORIA (U.P.)
L. No -39 [illegible]/2000
GOVT. OF U.P.

Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney

5

lakhs on the strength of lawfully issued permissions.

PRAYER

(a) For the forgoing it is prayed that this Hon'ble Tribunal be pleased to allow the present objections and set-aside the Report of the Ld. District Magistrate, Gorakhpur dated 21.06.2024 submitted before this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 613 of 2023 in the interest of justice.

(b) Any other order which this Honble Court may deem fit and proper may also be pass in the facts and circumstance of the present case.

Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD

THROUGH

KUNAL KALRA
ADVOCATE
7, GANDHI MARKET,
MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
M-9871028645
EMAIL: kkalra.adv@gmail.com

NOTARY
SATISH KUMAR PANDEY
CIVIL COURT
DEORIA (U.P.)
L. No -39 (1/1/2000
GOVT. OF U.P.

S. No 0205 Date 19.11.2025
I Have Administered Oath To Shri Saurabh Kumar
Identified by Shri S.K. Pandey Advt.
I Have Satisfied By
Examining The Deponent He
Understands the Contents of affidavit
explained to him

SATISH KUMAR PANDEY
Public Notary, Civil Court
Distt. Deoria
19.11.2025

CA

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

AT NEW DELHI.

[ORIGINAL JURISDICTION]

M. A. NO. 84 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 613 OF 2023

IN THE MATTER OF:-

OM PRAKASH GUPTA ... ORIGINAL APPLICANT

VERSUS

GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS.

... RESPONDENTS/NON-APPLICANTS

AFFIDAVIT

I, Sounil Kumar S/o Shri K.Prasad aged 45 working as Territory Manager at Gorakhpur do hereby solemnly affirm and declare as under:

1 That I am the constituted attorney of the respondent No. 6 BPCL in the above noted matter and as such I am well conversant with the facts and circumstances of the case and hence competent to depose the present affidavit.

2 I say that the accompanying objections has been drafted by my counsel under my instructions and contents of the same are true & correct to the best of my knowledge and belief.

Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at DEORIA Delhi on this 19th day of November 2025 that the contents of the above affidavit are true & correct to the best of my knowledge and belief.

Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney
DEPONENT

NOTARY
SATISH KUMAR PANDEY
CIVIL COURT
DEORIA (U.P.)
L. No -39 ... /2000
GOVT. OF U.P.

6

दिनांक 21/6/2

संदर्भ संख्या - 396/सी० - 347/2024

To,

Territory Manager (Retail),
M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Gorakhpur Retail Office,
Gorakhpur.

Sub: **Regarding submission of Action Taken/Compliance Report on behalf of District Magistrate, Gorakhpur in compliance to the order dated 11.10.2023 of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of Original Application No. 613/2023, Om Prakash Gupta Versus Gorakhpur Development Authority & Ors.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in above matters vide its order dated 11.10.2023. The action taken report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,

(Krishna Karunesh)
District Magistrate,
Gorakhpur

Copy to: **Following for information and further necessary action.**

1. Member Secretary, U.P.P.C.B., Lucknow.
2. Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.
3. CEO-6, U.P.P.C.B., Lucknow.
4. CLO, U.P.P.C.B., Lucknow.

District Magistrate
Gorakhpur

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0– 613/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, जनपद– गोरखपुर के पत्र दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा ग्राम– हासुपुर, तहसील– सदर, जनपद–गोरखपुर में प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0– 613/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के अनुपालन हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर सदस्य नामित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) जिलाधिकारी महोदय जनपद–गोरखपुर द्वारा उल्लिखित प्रकरण के जांच हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर) को नामित किया गया है तथा सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पत्र दिनांक 04.01.2023 के माध्यम से प्राधिकरण की ओर से श्री किशन सिंह, प्रभारी मुख्य अभियन्ता को निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प की जांच हेतु नामित किया गया है। उल्लिखित गठित संयुक्त समिति द्वारा उल्लिखित स्थल का निरीक्षण दिनांक 13.12.2023 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. उल्लिखित प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम– हासुपुर, तहसील– सदर, जनपद–गोरखपुर के 26.738103^0 अक्षांश एवं 83.352078^0 देशान्तर पर स्थापित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उल्लिखित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापित कर लिया गया है, परन्तु संचालन का कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. उल्लिखित स्थल के उत्तर दिशा में लगभग 104 मीटर की दूरी पर मेसर्स शैलेश किराना स्टोर तथा अन्य आवासीय मकान स्थित है।
3. उल्लिखित स्थल के दक्षिण दिशा में सटे हुए मेसर्स शारदा ट्रेडिंग कम्पनी एवं अन्य आवासीय मकान स्थित है।
4. उल्लिखित स्थल के पूरब दिशा में सटे बसंतपुर – हासुपुर मार्ग तत्पश्चात आवासीय एवं व्यवसायिक भवन स्थित है।
5. उल्लिखित स्थल के पश्चिम दिशा मे सटे हुए कृषि योग्य भूमि तथा लगभग 466 मीटर की दूरी पर राप्ती नदी स्थित है।
6. उल्लिखित स्थल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के निर्धारित गाईडलाइन दिनांक 07.01.2020 के अनुरूप है।
7. उल्लिखित स्थल द्वारा उल्लिखित गाटा का भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया गया है, परन्तु भू–प्रयोग प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।
8. उल्लिखित स्थल पर पम्प डिस्पेन्शर स्थल से 50 मीटर की दूरी पर सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्धारित गाईडलाइन के अनुसार अस्पताल, स्कूल, आवासीय क्षेत्र एवं हाईटेनशन इलेक्ट्रिक लाईन स्थित नहीं है।
9. गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर के कार्यालय पत्रसंख्या–25/नियो0अनु0/गो0वि0प्र0/2021–22 दिनांक 10–02–2022 के द्वारा स्थलीय नियम के अनुसार राप्ती नदी के पूरब स्थित हार्बट बन्धे के पश्चिम स्थित है, जो महायोजना 2021 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित है। उल्लिखित पेट्रोल पम्प का स्थल डूब क्षेत्र के अन्तर्गत है। डूब क्षेत्र में निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं है, जिसके दृष्टिगत स्थल पर किए गए निर्माण कार्य को जी0डी0ए0 द्वारा दिनांक 16–03–2024 से सील कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि उल्लिखित प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का स्थल डूब क्षेत्र में होने के दृष्टिगत स्थापना हेतु/निर्माण कार्य हेतु अनुमन्य नहीं है। उपरोक्त संयुक्त आख्या इकाई के प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

10/4/2024 — क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर

Executive Engineer, Drainage Div. Gorakhpur — प्रभारी मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

10/4/24 — अपर जिलाधिकारी (नगर), गोरखपुर

Item No. 17

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 27/2025
In
Original Application No. 613/2023
(IA No 111/2025)

Om Prakash Gupta — Applicant

Versus

Gorakhpur Development Authority
& Ors. — Respondent(s)

Date of hearing: 26.05.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Avi Tandon, Mrs. Meghna Tandon & Mr. Ami Tandon, Advocates for Applicant in M.A. No. 27/2025

Respondents: Mr. Pradeep Misra & Mr. Daleep Dhyani, Advs. for UPPCB
Mr. Amit Sharma, Adv. for R - 1
Mr. Sudhanshu Prakash & Mr. Himanshu Gupta, Advs. for R - 7

ORDER

1. In this Misc. application, applicant has prayed for following relief:

> *9. PRAYER(S): That, therefore, in view of the above-mentioned facts, Grounds, reasons and/or circumstances, it is most humbly and respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal by the Applicant herein, that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:*
>
> *(a) allow the present Application filed by the Applicant herein before this Hon'ble Tribunal;*
>
> *(b) pass further directions in favour of the Applicant herein by this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 613 of 2023 before this Hon'ble Tribunal;*
>
> *(c) allow the Application dated 18.04.2024 submitted by the Applicant herein before the Ld. Vice Chairman of the Gorakhpur Development Authority [i.e. ANNEXURE MA19 (COLLY) annexed to the present Application] in respect of M/s. Maa Bhagyavani Filling Station located at the property in question [i.e. Plot Nos. 178, 179 and 180 situated at Village Hansupur, Tehsil Sadar*

9

on Road connecting Amrud Mandi to Nehru Park, District Gorakhpur in the State of Uttar Pradesh];

(d) direct the Ld. Vice Chairman of the Gorakhpur Development Authority [i.e. Respondent No. 1 herein] to grant approval/sanction to the Composition Plan submitted by the Applicant herein before the Ld. Vice Chairman of the Gorakhpur Development Authority [i.e. ANNEXURE MA19 (COLLY) annexed to the present Application] in respect of M/s. Maa Bhagyavani Filling Station located at the property in question [i.e. Plot Nos. 178, 179 and 180 situated at Village Hansupur, Tehsil Sadar on Road connecting Amrud Mandi to Nehru Park, District Gorakhpur in the State of Uttar Pradesh];

(e) direct the Gorakhpur Development Authority [i.e. Respondent No. 1 herein] to de-seal/re-open the seal of the proposed Retail Outlet of the Filling Station/Petrol Pump of the Applicant herein located at the property in question;

(f) permit the Applicant herein to commence the operations and business of the Retail Outlet of the Filling Station/ Petrol Pump of the Applicant herein located at the property in question;

(g) direct the Respondents herein not to obstruct/interfere at all in the working as well as day-to-day operations of the Retail Outlet of the Filling Station/Petrol Pump of the Applicant herein located at the property in question; and/or

(h) pass such other and/or further order(s) in favour of the Applicant herein that this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in facts and circumstances of the present case."

2. Earlier, original application no. 613/2023 was filed by the original applicant objecting to the construction of the petrol pump by the applicant in present misc. application (respondent no.7 in the original application) on the ground that construction is in flood line area near river Rapti in Rajghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh.

3. Tribunal by order dated 11.10.2023 had constituted a joint committee and had disposed of the original application with the following directions:-

"2. Having regard to the issue raised in the application, we deem it proper to constitute a joint Committee comprising of the representative of the Member Secretary of Uttar Pradesh State Pollution Control Board, the representative of Secretary of Jal Shakti and District Magistrate,

Gorakhpur. The District Magistrate, Gorakhpur will act as nodal agency. The joint Committee will carry out the spot inspection and prepare a report. In case if any violation of norms in the setting up of the petrol pump by respondent no. 7 is found, then the copy of the report will be sent to respondent no. 6, Bharat Petroleum Corporation Limited, who on receipt of the report will take an appropriate decision in accordance with law by following the principles of 'Natural Justice'.

3. A copy of the report will also be submitted by the Committee before the Registrar General of the Tribunal and if found necessary, the matter will be listed for consideration before the Court."

4. Counsel for the applicant submits that present misc. application has been filed before the Tribunal in pursuance to the order of the High Court of Judicature at Allahabad dated 30.09.2024 passed in Writ-C No. 32309/2024 wherein the applicant has raised the grievance in respect of non-decision of the composition application. He submits that now composition application has been decided by the competent authority. His only grievance is that the construction does not fall in the flood plain area but in the misc. application, applicant has made multiple prayers which cannot be entertained in a disposed of original application, especially, when in the order dated 11.10.2023 while disposing of the original application, no specific direction connecting to the prayers was issued.

5. On the basis of the direction issued by Tribunal in the OA 613/2023 on 11.10.2023, District Magistrate, Gorakhpur has filed the report dated 21.06.2024 disclosing as under:

"9. गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के कार्यालय पत्रसंख्या-25/ नियो०अनु०/ गो०वि०प्र०/2021-22 दिनांक 10-02-2022 के द्वारा स्थलीय नियम के अनुसार राप्ती नदी के पूरब स्थित हार्बट बन्धे के पश्चिम स्थित है, जो महायोजना 2021 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित है। उल्लिखित पेट्रोल पम्प का स्थल डूब क्षेत्र के अन्तर्गत है। डूब क्षेत्र में निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं है, जिसके दृष्टिगत स्थल पर किए गए निर्माण कार्य को जी०डी०ए० द्वारा दिनांक 16-03-2024 से सील कर दिया गया है।"

6. In view of the above, Learned Counsel for the applicant submits that he is not pressing misc. application but liberty be granted to file objection to the report of the District Magistrate, Gorakhpur.

7. Misc. application-27/2025 is accordingly dismissed as not pressed.

8. Office is directed to register the report of District Magistrate, Gorakhpur dated 21.06.2024 as separate misc. application and list the same on 20.08.2025.

9. Parties present today will have an opportunity to file objection to the report of the District Magistrate, Gorakhpur in that misc. application.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

May 26, 2025
M.A. No. 27/2025
JG.

कार्यालय जिलाधिकारी गोरखपुर

पत्रांक–575 / आब0लि0–अना0प्र0प0 / 19 दिनांक–26.7.2019

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

कृपया भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री ओमकार कुमार कुशवाहा पुत्र बृज कुमार कुशवाहा नि0–हॉसूपुर, तहसील–सदर, गोरखपुर के नाम(अमरूद मण्डी से नेहरू पार्क रोड पर) गाटा सं0–178,179 व 180 में न्यू रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में सम्बन्धित विभागों से आख्या / संस्तुति प्राप्त की गयी, जो निम्नानुसार है–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के पत्र संख्या–व–419 / 2019 दिनांक 29.05.2019
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3 लो0नि0वि0 गोरखपुर के पत्र संख्या–858 / 1सी दिनांक 15.06.2019
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर के पत्र संख्या–सी0एफ0ओ0–निरीक्षण (डीजल / पेट्रोल पम्प) / 2019 दिनांक 12.03.2019
4. उप जिलाधिकारी सदर के पत्र संख्या–1732 / आशुलि0–सदर दिनांक 10.05.2019
5. जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या–6294 / जि0पू0अ0–पेट्रोलियम / 2019 दिनांक 04.05.2019
6. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या–4381 / 2–6 दिनांक 02.04.2019
7. अधिशासी अभियन्ता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, गोरखपुर के पत्र संख्या–1473 / वि0वि0खं0प्र0(गो0) दिनांक 20.04.2019
8. आबकारी निरीक्षक सेक्टर–2 गोरखपुर की आख्या दिनांक 27.03.2019

उक्त अधिकारियों की आख्या / संस्तुति(छाया प्रति संलग्न) में दिये गये शर्तो के अनुपालन एवं प्रतिबन्धों के अधीन पेट्रोलियम ऐक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं O.I.S.D.225 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की शर्त के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जो दो वर्ष तक वैध होगा। निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कर अन्तिम स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा अन्यथा प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक– यथोक्त।

(के0विजयेन्द्र पाण्डियन)
जिलाधिकारी
गोरखपुर

12

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
कोलकाता टेरिटरी (रिटेल)
Bharat Petroleum
energising lives
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
A Govt. of India Enterprise
Kolkata Territory (Retail)

गोरखपुर / प्रादेशिक कार्यालय /NOC/हंसुपुर
अक्टूबर 19, 2022

सेवा में,
जिलाधिकारी
कार्यालय जिलाधिकारी,गोरखपुर

विषय : ग्राम हांसुपुरमुस्तकिल, परगना हवेली,तहसील सदर,जिला - गोरखपुर में खसरा संख्या 178,179 तथा 180 की अनापत्ति प्रमाण पत्र 575/आब0 लि0 -अना0प्र0प0/19 दिनांक 26.07.2019 की पुनः बेधत्ता के संबंधा में

महोदय,

कृपया हमारे पूर्व मे प्रेषित पत्रदिनांक 22,मार्च 2022 का संदर्भ ग्रहण करें ।

आपके कार्यालय द्वारा उक्त स्थल पर भारत पैट्रोलियम के पक्ष में पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्रदिनांक 26.07.2019 को जारी किया गया था । अनापत्ति प्रमाण पत्रकीबेदद्ता2 वर्ष अंकित की गई थी । करोना व अन्य अपरिहार्य करणों से उक्त समायावधि में कम्पनी द्वारा पेट्रोल पम्प की स्थापना नहीं की जा सकी जिसकी पुनः बेधत्ता के संबंधा मेंपूर्व मे भी कंपनी द्वारा आवेदन किया गया था । परन्तु अभी तक हमे उक्त लोकेशन की विस्तारित NOC नहीं प्राप्त हुई है ।

अतः आपसे निवेदन है कि बिषयांतर्गत लोकेशन कि पूर्व में जारी NOC को एक बार बिस्तारितकर यथाशीघ्र जारी करने कि कृपा करें,जिससे आगे कि कार्यवाही सुनिश्चित कि जा सके ।

भवदीय
कृते **भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन** लिमिटेड

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)गोरखपुर

संलग्न : कॉपी ऑफ PESO अनुमोदन

13

कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर।

पत्रांक– 47 / वी0आई0पी0–2022(अनापत्ति) दिनांकःदिसम्बर01,2022

अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत पेट्रोलियम कारर्पोरेशन लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय गोरखपुर के द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 27.02.2019 के संदर्भ में और पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं ओ0आई0एस0डी0. 225 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने की शर्त पर श्री ओमकार कुमार कुशवाहा पुत्र बृज कुमार कुशवाहा, निवासी–हॉसूपुर, तहसीलदार–सदर, गोरखपुर के नाम (अमरूद मण्डी से नेहरू पार्क रोड पर) गाटा सं0–178, 179 व 180 में न्यू रिटेल आऊटलेट हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक–575 / आब0लि0–अना0प्र0प0 / 19 दिनांक 26–07–2019 की अवधि बढ़ाये जाने हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, गोरखपुर के प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल), गोरखपुर के कार्यालय पत्रांक–गोरखपुर / प्रादेशिक कार्यालय / एन0ओ0सी0 / हॉसूपुर अक्टूबर 19, 2022 द्वारा किये गये अनुरोध पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय पत्रसं0–व–553 / 22 दिनांक 25–11–2022, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर कार्यालय के पत्रांक–142 / अ0न0आ0 / रेन्ट / न0नि0गो0 / 2022–23 दिनांक 10–11–2022 एवं उप जिलाधिकारी सदर, गोरखपुर के कार्यालय पत्रसंख्या–1309 / आशलि0 (सदर)–22 दिनांक 22 नवम्बर, 2022 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के आधार पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक–575 / आब0लि0–अना0प्र0प0 / 19 दिनांक 26–07–2019 की अवधि इस कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि से दो वर्ष तक वैध होगा। पेट्रोल पम्प निर्माण होने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर अन्तिम स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा अन्यथा प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(कृष्णा करूणेश)
जिलाधिकारी
गोरखपुर।

जिलाधिकारी
गोरखपुर

14

कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर।

पत्रसंख्या–48/वी0आई0पी0–अना0प्र0प0–2022 दिनांकः दिसम्बर03,2022

विषय– ग्राम हॉसूपुर मुस्तकिल, परगना हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में खसरा संख्या–178, 179 तथा 180 की अनापत्ति प्रमाण–पत्र संख्या–575/आब0लि0–अना0प्र0प0/19 दिनांक 26–07–2019 की पुनः वैधता के सम्बन्ध में ।

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल),
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
गोरखपुर।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रेषित अपने कार्यालय पत्रांक–गोरखपुर/प्रादेशिक कार्यालय/एन0ओ0सी0/हॉसूपुर दिनांक अक्टूबर 19, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके उपर्युक्त विषयक पत्र के कम में ग्राम हॉसूपुर मुस्तकिल, परगना हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में खसरा संख्या–178, 179 तथा 180 पर रिटेल पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संख्या–575/आब0लि0–अना0प्र0प0/19 दिनांक 26–07–2019 की वैधता अवधि जिलाधिकारी महोदय के पत्रसंख्या–47/वी0आई0पी0–2022 (अनापत्ति) दिनांक दिसम्बर 01, 2022 द्वारा निर्गत तिथि से दो वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी है जो मूलरूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त मूलरूप में।

03/12/22

अपर जिलाधिकारी (नगर)
गोरखपुर।

पत्रसंख्या– / वी0आई0पी0–अना0प्र0प0–2022 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–श्री ओमकार कुमार कुशवाहा पुत्र श्री बृज कुमार कुशवाहा, मुहल्ला–हॉसूपुर, थाना–राजघाट, शहर/जनपद–गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (नगर)
गोरखपुर।

गोरखपुर महायोजना – 2031
(पुनरीक्षित)
प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र
आवासीय
कृषि
व्यावसायिक
अन्य
औद्योगिक
कार्यालय
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधायें
विकास क्षेत्र सीमा
नगर निगम सीमा
ग्राम सीमा
पूर्वोत्तर
कार्य क्षेत्र सीमा
उपयोगिताए एवं सेवाये
निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्र (नो कन्स्ट्रक्शन जोन)
यातायात एवं परिवहन
प्रभावी परिक्षेत्र (जोन ऑफ इन्फ्लूयेन्स)
पार्क एवं खुले स्थल
गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर
गोरखपुर विकास प्राधिकरण , गोरखपुर
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश
मापनी 1:28,000
Kilometers
कन्सल्टेंट
पता – स्टेसालिट टॉवर , ब्लॉक जी. पी. ,
साल्ट लेक , सेक्टर – 5 ,
कोलकाता 700091 , इंडिया
Stesalit Systems LIMITED

16

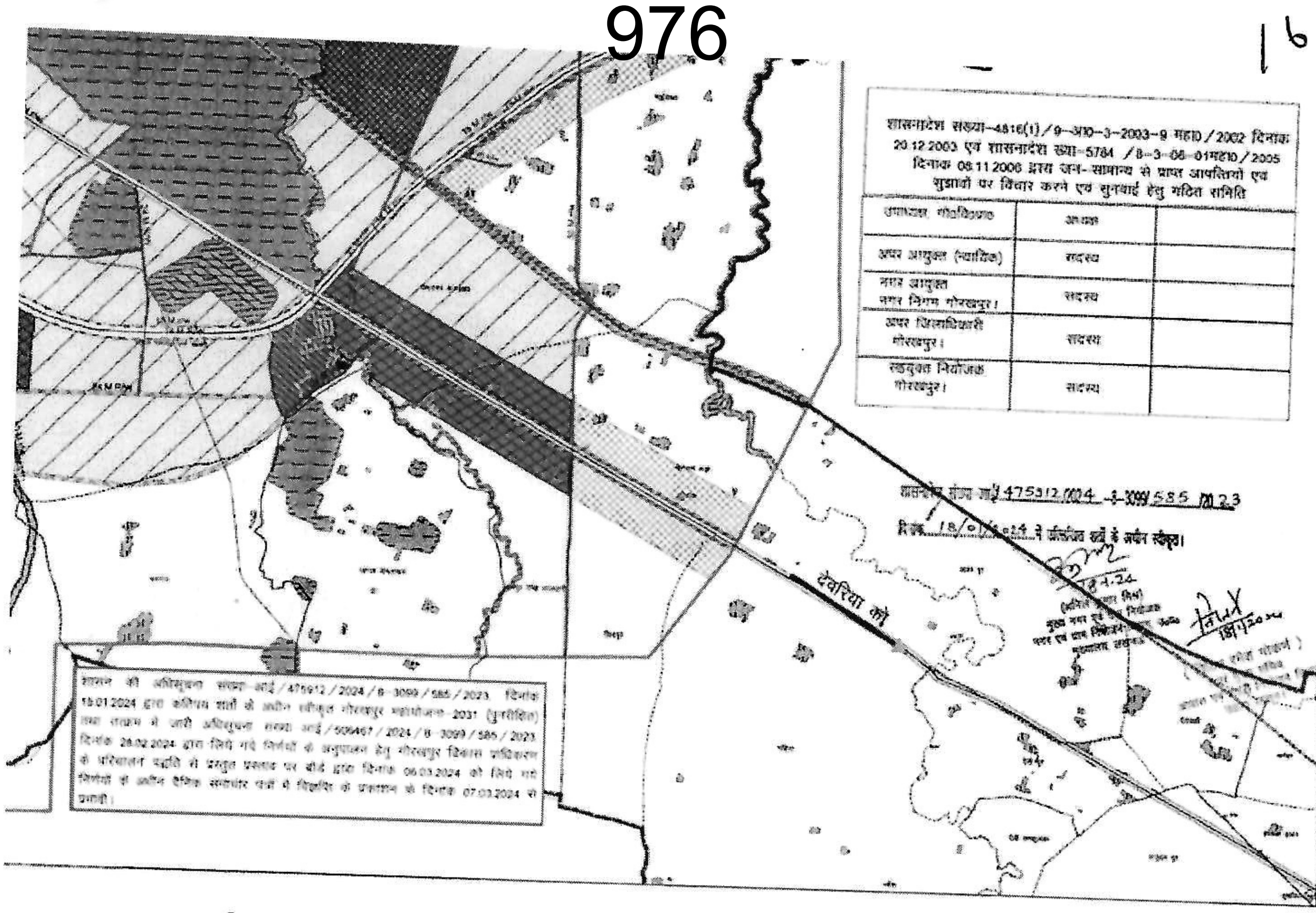
शासनादेश संख्या–4816(1)/9–आ0–3–2003–9 महा0/2002 दिनांक 20.12.2003 एवं शासनादेश संख्या–5784 /8–3–06–01महा0/2005 दिनांक 08.11.2006 द्वारा जन–सामान्य से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने एवं सुनवाई हेतु गठित समिति
उपाध्यक्ष, गो0वि0प्रा0 — अध्यक्ष
अपर आयुक्त (न्यायिक) — सदस्य
नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर। — सदस्य
अपर जिलाधिकारी गोरखपुर। — सदस्य
सहयुक्त नियोजक गोरखपुर। — सदस्य
शासनादेश संख्या आई 475312/2024 -8-3099/585 /2023
दिनांक 18/01/2024 से प्रतिबंधित शर्तों के अधीन स्वीकृत।
देवरिया को
शासन की अधिसूचना संख्या–आई/475912/2024/8–3099/585/2023, दिनांक 18.01.2024 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृत गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) तथा तत्क्रम में जारी अधिसूचना संख्या–आई/506467/2024/8–3099/585/2023 दिनांक 28.02.2024 द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण के परिवहन पद्धति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा दिनांक 06.03.2024 को लिये गये निर्णयों के अधीन दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक 07.03.2024 से प्रभावी।

17

06/01/2021

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर गोरखपुर

वाद सं० T2020531350311

विनय कुमार
बनाम
सरकार

अन्तर्गत धारा 80 ज०वि०अधि० मौजे [illegible] तप्पा [illegible] 66 [illegible] तह० सदर जिला गोरखपुर

आदेश
16.12.2020

आदेश : इस पत्रावली को आदेश हेतु पेश। आदेश दि० 16.12.2020 को पारित कर संलग्न है

18

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :गोरखपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-11/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202053135031 1
विजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

विवेचना

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक/वादी विजय कुमार आदि पुत्र स्व0 ... निवासी ग्राम हॉसूपुर मुस्तकिल, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रचलित हुई। जिसके साथ वादी द्वारा साक्ष्य आदि प्रस्तुत करते हुए भूमि स्थित ग्राम हॉसूपुर मुस्तकिल, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के आराजी संख्या–178/0.062है0, 179/0.103है0, 180/0.083है0 भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिस पर तहसीलदार सदर से जॉच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार सदर द्वारा राजस्व निरीक्षक की जॉच आख्या दिनांक 06.07.2020 को अग्रसारित की गयी।

तहसीलदार सदर द्वारा जॉच आख्या से अवगत कराया गया कि भूमि स्थित ग्राम हॉसूपुर मुस्तकिल, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के आराजी संख्या–178/0.062है0, 179/0.103है0, 180/0.083है0 बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है तथा आवेदक की उक्त भूमि का वर्तमान में अकृषिक के रूप में प्रयोग हो रहा है। तहसीलदार सदर द्वारा प्रश्नगत भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक की जॉच आख्या अग्रसारित की गई है। आवेदक/वादी द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि के सर्किल रेट का 01 प्रतिशत कमशः न्यायालय शुल्क, स्टैम्प शुल्क व व्यवसायिक शुल्क के रूप में 530100/– रू0 तथा 1000/–रू0 चिन्हाकन शुल्क जरिए ट्रेजरी जमा कोष किया गया है, जिसकी रसीद संलग्न है। इस प्रकार तहसीलदार सदर की जॉच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में निजी व्यवसायिक प्रयोजन के रूप में किया जा रहा है। इसलिए वादी की 0.093है0 भूमि का उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80(2) के अन्तर्गत अस्थायी रूप से अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं तहसीलदार सदर की जॉच आख्या दिनांक 25.08.2020 के आधार पर आवेदक/वादी वादी विजय कुमार आदि पुत्र स्व0 बरसू निवासी ग्राम हॉसूपुर मुस्तकिल, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के आराजी संख्या–178/0.062है0, 179/0.103है0, 180/0.083है0 भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80(2) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है कि– आवेदक/वादी यदि उ0प्र0 राजस्व संहिता के संशोधन अध्यादेश सं0 539(2)/LXXIX-V-I-19-(ka)-2-2019 दिनांक 10.03.2019 के अनुसार पारित आदेश से 05 वर्ष की अवधि में प्रश्नगत भूमि में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प लगाने मे असफल रहता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और यदि आवेदक/वादी पारित आदेश से 5 वर्ष की अवधि में प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थापित कर लेता

16/12/20

19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :गोरखपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-11/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2020531350311
विजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

है तो आवेदक को पारित आदेश की 05 वर्ष की अवधि में ही प्रश्नगत भूमि को स्थाई रूप से अकृषिक भूमि घोषित कराने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80(1) अन्तर्गत पुनः साक्ष्यों सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

6/12/20
(गौरव सिंह सोगरवाल)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी सदर,
गोरखपुर

नो0 नकल
1905
6/1/2021
18.00
320
6/1/2021
6/1/2021

सत्य प्रतिलिपि

6/1/2021

5
13
06/01/2021

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर गोरखपुर,

वाद सं० T 202053135031

विनय कुमार बनाम सरकार	का. नकल धारा 80(1) [illegible] मौजा [illegible] थाना [illegible] तहसील सदर जि० गोरखपुर।

आदेश
16.12.2020

नोट: इस पत्रावली के साथ [illegible] दि० 11.2020 को [illegible] संलग्न है।

न्यायालय श्रीमान् उपजिलाधिकारी सदर, गोरखपुर

वाद संख्या सन् 2019

1. विजय कुमार 2. बृज कुमार 3. श्याम सुन्दर दास 4. घनश्याम दास	पुत्रगण स्व0 बरसू निवासीगण–हाँसूपुर मुश्तकिल, तप्पा–कस्बा, परगना हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर

.... वादीगण

.... बनाम ....

सरकार जरिए उपजिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर

.... प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 बावत मौजा–हाँसूपुर मुश्तकिल तप्पा–कस्बा, परगना हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर बावत आराजी नम्बर–178 रकबा 0.062 हे0, 179 रकबा 0.103 हे0, 180 रकबा 0.083 हे0

<u>प्रार्थना पत्र का आधार निम्न है :–</u>

1. यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड के वादीगण अन्य सहखातेदारान के साथ सह अंश धारक व बतौर भूमिधर काबिज दखील है।

2. यह कि वादीगण का अंश खाते व आराजी में 1/2 है। इसी अनुसार अरसा दराज से आपसी सहमति के अनुसार प्रश्नगत आराजी नं0 178, 179 व 180 के क्षेत्रफल को सम्मिलित कर एक प्लाट की शक्ल में काबिज है।

3. यह कि प्रार्थीगण में बृज कुमार कुशवाहा के लड़के ओंमकार कुशवाहा के नाम भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड गोरखपुर द्वारा कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2019 ई0 को प्रश्नगत आराजियात में ही पेट्रोल पम्प स्वीकृत हुआ है।

22

4. यह कि पेट्रोल पम्प स्वीकृत होने के बाद इससे सम्बन्धित सभी औपचारिकताए लगभग पूरी कर ली गयी है।

5. यह कि पेट्रोलियम विभाग द्वारा उन आराजियात का भू–प्रयोग अकृषिक करवाने की अपेक्षा के तहत प्रार्थी के लडके को निर्देशित किया गया है। चूँकि जमीन प्रार्थीगण के नाम है, इसलिए प्रश्नगत आराजियात के 1/2 अंश के रकबे को अकृषिक घोषित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. यह कि हम सभी वादीगण सगे भाई है, हम लोग अपनी आरजियात को लड़के/भतीजे को पेट्रोल पम्प लगाने हेतु देने की कार्यवाही पेट्रोलियम विभाग से कर चुके है। इसी क्रम में अकृषिक घोषित करवाने की भी कार्यवाही सम्मिलित है।

7. यह कि मौके पर भी पेट्रोल पम्प लगाने से सम्बन्धित कार्यवाही चल रही है भू–प्रयोग भी कृषि नहीं रह गया है। इसलिए प्रश्नगत आराजियात के 1/2 अंश का भू–प्रयोग अकृषिक करना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी नं0–178, 179 व 180 के 1/2 अंश क्षेत्रफल का भू–प्रयोग अकृषिक करने की कृपा की जावे।

तफसील आराजी स्थित मौजा–हाँसूपुर मुश्तकिल

आराजी नम्बर	रकबा
178	0.062 हे0
179	0.103 हे0
180	0.083 हे0
3 खेत	0.248 का 1/2 अंश अर्थात् 0.124 हे0

नरेन्द्र प्रसाद दुबे (वर्दी)
1905
6/1/2021
18.00
210
6/1/2021
6/1/2021

दिनांक–1/1/2020

प्रार्थीगण

1. विजय कुमार विजय कुमार
2. बृज कुमार बृजकुमार
3. श्याम सुन्दर श्यामसुन्दर
4. घन श्याम घनश्याम

सत्य प्रतिलिपि

6/1/2021

1/1/2020

श्रवण [illegible]

13.00
06/01/2021

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, गोरखपुर

वाद सं० T202053135 0311

विनय कुमार बनाम सरकार	अं० तहत धारा 80 बाबत मौजा डोमपुर गु० नम्बर गाटा 66 [illegible] तह० सदर जि० गोरखपुर।

तामील
16.12.2020

नोट :- [illegible] के साथ [illegible] दिनांक 06.2.2020 को [illegible] है।

25

महोदय,

आवेदक विजय कुमार आदि पुत्र [illegible] निवासी ग्राम हाँसूपुर मुस्तकिल तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर द्वारा उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय में इस आशय का वाद प्रस्तुत कर आकृषिक घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है के सम्बन्ध में महोदय के पृष्ठांकित आदेश दिनांक 18-01-2020 के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है।

अवगत कराना है कि ग्राम हाँसूपुर मुस्तकिल तप्पा कस्बा परगना हवेली के अन्तर्गत आराजी नं० $\frac{178}{0.062}$, $\frac{179}{0.103}$, $\frac{180}{0.083}$, सरकारी अभिलेख में विजय कुमार आदि पुत्र गण [illegible] के नाम से संक्रमणीय भूमि के खाते में दर्ज है जिसके बावत आख्या निम्नवत है।

1. आवेदित भूमि आराजी संख्या $\frac{178}{0.062}$, $\frac{179}{0.103}$, $\frac{180}{0.083}$ पर बतौर सह खातेदार के रूप में संक्रमणीय भूमिधर के दर्ज अभिलेख हैं।
2. आवेदित भूमि का उपयोग मत्स्य पालन, कुक्कुट, बागवानी व कृषि से जुड़े कार्य नहीं किये जा रहे हैं।
3. आ० सं० $\frac{178}{0.062}$, $\frac{179}{0.103}$, $\frac{180}{0.083}$ से सहखातेदारों के बीच विधिक बंटवारा नहीं हुआ।
4. आवेदित भूमि गवर्नमेन्ट लैण्ड या गाँव सभा व लोकल बाडी के लैण्ड नहीं है।
5. आवेदित भूमि पर आवेदक का कब्जा है।
6. आवेदित भूमि पर स्वामित्व को लेकर कोई विवाद संज्ञान में नहीं है।
7. आवेदित भूमि सीज के अन्तर्गत घोषित क्षेत्र में नहीं है।
8. आवेदित भूमि किसी संस्था या बैंक के पक्ष बंधक के सम्बन्ध में खतौनी कोई अंकन नहीं है।
9. आवेदित भूमि का उपयोग वाणिज्यिक परियोजन हेतु किया जायेगा।
10. आवेदित भूमि के प्रयोजन से सार्वजनिक व्यवस्था स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।
11. आवेदित भूमि का उपयोग, प्रस्तावित वाणिज्यिक के सम्बन्ध में संज्ञान में नहीं है।
12. आवेदित भूमि का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन में किया जायेगा।
13. आवेदित प्रस्तुत वाद की जिलाधिकारी / कलेक्टर गोरखपुर द्वारा सर्किल रेट के अनुसार 19000/-वर्ग मीटर है आवेदित भूमि का कुल रकबा 0.093 हे० यानि 93 वर्ग मीटर या सर्किल रेट के अनुसार भूमि का मूल्यांकन 17670000/- एक करोड़ छिहत्तर लाख सत्तर हजार रुपया है।
14. आवेदित भूमि आराजी संख्या व रकबा के अनुसार $\frac{178}{0.062}$, $\frac{179}{0.103}$, $\frac{180}{0.083}$, में 0.093 हे० अकृषिक करने हेतु वाद योजित किया गया है।
15. आवेदित भूमि का खसरा खतौनी व भूमि का फोटो पत्रावली में संलग्न है।
16. आवेदित भूमि का 0.093 हे० भूमि है तथा स्वयं आवेदक का कब्जा है।

अतः रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है

ह० अपठनीय 8.7
08-07-2020

बाबूराम
लेखपाल
क्षेत्र सं०-87

महोदय
रा०नि० की आख्या प्रेषित
अग्रेतर कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित
उप जिलाधिकारी तहसील-सदर, गोरखपुर
तहसील- सदर, गोर- पुर

1905
6/1/2021
18.00
310
6/1/2021
6/1/2021

सत्य प्रतिलिपि

6/1/2021

प्रतिलिपि कर्ता
मुकाबला कर्ता

ANNEXURE MA-26 (COLLY)

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
भू-प्रयोग हेतु सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र

सेवा मे,

नगर नियोजक
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर।

Rs.-50.00
Cn.-34236
Date-23.02.2024

पत्रांक: 775 /नियोजन /गो.वि.प्रा./२०२३-२४,

दिनांक: 7 /03/२०२४

प्रश्न	उत्तर
कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मौजा–[illegible] [illegible] 178, तप्पा–[illegible] परगना [illegible], तहसील [illegible] जिला [illegible] की आराजी संख्या– 178 .... का भू–प्रयोग महायोजना–2021 के अनुसार क्या है?	इस कार्यालय में उपलब्ध सजरा मानचित्र के अनुसार मौजा– [illegible] के अन्तर्गत आराजी संख्या– 178 का भू–प्रयोग महायोजना–2021 के अनुसार 45.00 मीटर चौड़ा बन्धा मार्ग तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तालाब व जलाशय की स्थिति में यथावत रहेगा, भू–प्रयोग की आख्या महायोजना के सजरा स्थानान्तरण एवं जोनिंग रगुलेशन से प्रतिबन्धित है। उक्त आख्या बैंको से भवन निर्माण के ऋण हेतु मान्य नहीं है। 29/02/24 उप [illegible]

दिनांक:- 26 /02/२०२४
आवेदनकर्ता का नाम [illegible]
पता [illegible]
मो० 8799167893

(TRUE COPY)

986

चगोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

भू–प्रयोग हेतु सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र

सेवा में,

नगर नियोजक
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर।

Rs.-50.00
Cn.-34245
Date-26.02.2024

पत्रांकः 7795/नियोजन /गो.वि.प्रा./२०२३-२४,

दिनांकः 07/03/२०२४

प्रश्न	उत्तर
कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मौजा– हॉसूपुर मुस्तकिल 180, तप्पा– कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर की आराजी संख्या– 180 का भू–प्रयोग महायोजना–2021 के अनुसार क्या है?	इस कार्यालय में उपलब्ध सजरा मानचित्र के अनुसार मौजा– हॉसूपुर मुस्तकिल के अन्तर्गत आराजी संख्या– 180 का भू–प्रयोग महायोजना–2021 के अनुसार 45.00 मीटर चौड़ा बन्धा मार्ग तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तालाब व जलाशय की स्थिति में यथावत रहेगा, भू–प्रयोग की आख्या महायोजना के सजरा स्थानान्तरण एवं जोनिंग रेगुलेशन से प्रतिबन्धित है। उक्त आख्या बैंको से भवन निर्माण के ऋण हेतु मान्य नहीं है। नितिन कुमार वर्मा, मानचित्रक, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर उप प्रभारी नियोजन, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

दिनांकः– 16/02/२०२४
आवेदनकर्ता का नाम ....रामकुमार..........
पता ....हॉसूपुर..................
मो० ....9935950517..............

(TRUE COPY)

ANNEXURE MA-10

गोरखपुर, विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

पत्रांक 471 / दाम अभु0 / गो0वि0प्रा0 / अ0नि0 / जोन–3(ख) प्र.खण्ड दिनांक 25/07/20

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 / यथा संशोधित–1997 / की धारा 28'क' (1) के अन्तर्गत निर्माण सील किया जाने से पूर्व कारण बताओ नोटिस।

सेवा में,

श्री बृज कुमार चौरसिया
मुहल्ला–जसपुर छावट बंधा
थाना–राजघाट
गोरखपुर।

आप के द्वारा भू–खण्ड संख्या–..............X............... दिनांक–12.05.2020 गोरखपुर में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मुहल्ला–जसपुर छावट बंधा, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–14 व 15 के अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण से बिना अनुज्ञा प्राप्त किये निमार्ण कार्य किया जा रहा है।

आप द्वारा स्थल पर विकास कार्य (मिट्टी भरकर)। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–27(1), 28(1) व 28 (2) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आपको वाद संख्या–19 / 2020 दिनांक–11.06.2023 को नोटिस भेजा गया था एवं आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप उक्त अवैध निर्माण को रोक दें, परन्तु इसके उपरान्त भी स्थल पर उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण रोका नही गया है।

अतः उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत आपके उक्त अनाधिकृत निर्माण को उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा सीलबन्द के आदेश प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें कि क्यो न उक्त अवैध निर्माण के परिसर को सीलबन्द कर दिया जाए। यदि आपका संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है निर्माण को बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार सील कर दिया जाएगा।

सक्षम अधिकारी,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर।

सत्य प्रतिलिपि
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

(TRUE COPY)